पत्र सूचना शाखा
सूचना एवं जनसंपर्क विभाग उत्तर प्रदेश

आगामी एक अप्रैल से शुरू होगी गेहूँ खरीद

लखनऊ : 28 मार्च, 2023

उत्तर प्रदेश सरकार द्वारा प्रदेश में किसानों को उनकी उपज का वाजिब मूल्य का लाभ पहुंचाने के लिए न्यूनतम समर्थन मूल्य योजना के तहत गेहूँ खरीद वर्ष 2023–24 के अन्तर्गत आगामी एक अप्रैल से गेहूँ खरीद शुरू की जाएगी। समर्थन मूल्य का लाभ उठाने हेतु खाद्य विभाग के पोर्टल fcs.up.gov.in पर पंजीकरण अनिवार्य है। किसानों को गेहूँ विक्रय के पूर्व किसी भी जनसुविधा केन्द्र, साइबर कैफे से ऑनलाईन पंजीकरण कराना होगा।

खाद्य एवं रसद विभाग से प्राप्त जानकारी के अनुसार किसानों को गेहूँ के मूल्य का भुगतान उनके आधार लिंक्ड बैंक खाते में किया जायेगा। किसानों को अपना आधार संख्या, आधार कार्ड में अंकित अपना नाम आदि सही अंकित करना होगा। खरीफ विपणन वर्ष 2022–23 में धान खरीद हेतु पंजीकरण करा चुके कृषकों को गेहूँ विक्रय हेतु पुनः पंजीकरण कराने की आवश्यकता नहीं है, परन्तु पंजीकरण को संशोधन कर पुनः लॉक कराना होगा।

उल्लेखनीय है कि न्यूनतम समर्थन मूल्य योजना के तहत गेहूँ की खरीद हेतु खोले जाने वाले क्रय केन्द्रों का स्थल निर्धारण, क्रय केन्द्रों की जियो टैगिंग, क्रय केन्द्रों पर किसानों की सुविधाओं की व्यवस्था, क्रय केन्द्रों की आवश्यकता का आंकलन कराकर धनराशि, बोरों, स्टाफ आदि समस्त व्यवस्थायें पूर्ण कराने हेतु पूर्व में निर्देश जारी किये जा चुके हैं।

सम्पर्क सूत्र– सरिता वर्मा

कमलेश कुमारी / 2:05 PM

फोन नम्बर Direct : 0522–2239023 ई0पी0बी0एक्स0: 0522–2239132,33,34,35 एक्सटेंशन : 223 224 225
फैक्स नं0 : 0522–2237230 0522–2239586 ई–मेल : upsoochna@gmail.com
वेबसाइट :www.information.up.gov.in